अनवान अनिरुद्ध प्रताप सिंह व अन्य बनाम सरकार
वाद मुकदमा नं. 23/2025

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 23/2025

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

1. अनिरूद्ध प्रताप सिंह यादव पुत्र श्री निर्मल सिंह यादव जाति अहीर (यादव), निवासी कैलाशपुरी जिला बीकानेर।
2. अमनदीप यादव पत्नी श्री परमजीत सिंह यादव जाति अहीर (यादव), निवासी 9 एल. एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. गीना देवी पत्नी बसंत कुमार जाति जाति अहीर (यादव), निवासी 9 एल.एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहल (वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.05.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीगण कृषक पेशा हैं, प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 10 एल. एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1/1 की 0.203 है0 नहरी, किला नं. 1/2 की 0.0250 है0 गै.मु. रास्ता, किला नं. 2/1 की 0.203 है0 नहरी, किला नं. 2/2 की 0.0250 है0 गै.मु. रास्ता, किला नं. 3/1 की 0.203 है0 नहरी, किला नं. 3/2 की 0.0250 है0 गै. मु. रास्ता, किला नं. 4/1 की 0.203 है0 नहरी, किला नं. 4/2 की 0.0250 है0 गै. मु. रास्ता, किला नं. 5/1 की 0.203 है0 नहरी, किला नं. 5/2 की 0.0250 है0 गै.मु. रास्ता, किला नं. 6 ता 12 प्रत्येक सालम, किला नं. 13/1 की 0.189 है0 नहरी कुल 3.100 हैक्टयर नहरी मय गै. मु. रास्ता मुताबिक जमाबन्दी दर्ज कागजात माल हैं। प्रार्थीगण का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार दर्ज चला आ रहा हैं। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न आवेदन पत्र हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की हैं, प्रार्थीगण से पूर्व यह भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2021 में कंधार सिंह वगैरा के नाम से दर्ज थी और इस भूमि का मुरब्बा नं. 5 था और किला नं. 1 ता 5 में 18–18 बिस्वा कृषि भूमि थी और शेष 2–2 बिस्वा रास्ता के रूप में दर्ज था, आगामी चार साला जमाबन्दी सम्वत् 2026 में उक्त भूमि का मुरब्बा नं. 7 कर दिया गया और मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में सहबन उक्त 18–18 बिस्वा में ही 16–16 बिस्वा नहरी व 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रत्येक किला में 18 बिस्वा रकबा कृषि भूमि ही थी रास्ता का 2–2 बिस्वा अलग से था, आगामी चार साला जमाबन्दी सम्वत् 2044 में मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 18–18 बिस्वा में 16–16 बिस्वा नहरी कृषि भूमि व 2– 2 बिस्वा खाल दर्ज कर दिया गया जबकि किला नं. 1 ता 5 में कभी कोई खाल नही था और केवल 2–2 बिस्वा रास्ता ही था। आगामी चार साला नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 16–16 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2048 में मुरब्बा नहरी व 2–2 खाल दर्ज करते हुए पुर्नावर्ति कर दी और मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि हैं और 2–2 बिस्वा रास्ता है जो खाता संख्या 1 में दर्ज चला आ रहा हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2070 में भी जमाबन्दी हैक्टयर में बनने पर मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.2030 है0 नहरी व 0.0250 है0 गै.मु.

Scanned with CamScanner

रास्ता दर्ज कर दिया और इसी प्रकार जमाबन्दी कम्प्यूटरकृत करने पर मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.2030 है0 नहरी व 0.0250 है0 गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया जबकि रास्ता 2-2 बिस्वा अलग से पूर्व से ही चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 18-18 बिस्वा नहरी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है परन्तु जमाबन्दी में 16-16 बिस्वा नहरी व 2-2 बिस्वा रास्ता दर्ज है और खाता संख्या 1 में भी खसरा संख्या 43/6 में भी 0.1260 है0 गै. मु रास्ता दर्ज चला आ रहा है इससे स्पष्ट है मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 0.126 है0 ही रास्ता है और शेष नहरी कृषि भूमि है। उक्त समस्त जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण ने मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 18-18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि क्रय की है और प्रार्थीगण के कब्जा में भी मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 18-18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि है। रास्ता की भूमि खाता सं. 1 के खसरा सं. 43/6 में अलग से दर्ज है, इस मुरब्बा के आगे पीछे मुरब्बा में भी 2-2 बिस्वा रास्ता ही चल रहा है और 2-2 बिस्वा रास्ता से आवागमन भी आसानी से हो रहा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के 18-18 बिस्वा कृषि भूमि में 2-2 बिस्वा बिना अधिकार जो रास्ता दर्ज किया गया है वह विधि-विरूद्ध है और प्रार्थीगण इस विधि-विरूद्ध कार्य को अपने अधिकारो पर निष्प्रभावी घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1 ता 5 में 18-18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि दर्ज करने का कई बार कहा परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की बात पर कोई ध्यान नही दिया और दिनांक 10-01-2025 को ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया, यही वाद कारण है। कृषि भूमि चक 10 एल.एन.पी. माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने हेतु है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो इन्कारी से अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. मय धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन है कि वाके चक 10 एल.एन.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 में दर्ज 0.0250 है० गै. मु.रास्ता को विलोपित किया जाकर किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 प्रत्येक में 0.2280 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त विषय के सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका प्रकरण के संबंध में रिकार्ड व मौका जांच करने पर पाया की मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 10 एलएनपी खाता संख्या 20 अनिरूद्ध प्रताप सिंह यादव वगैरह के नाम से मुरब्बा नम्बर 7 की 3.100 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता आराजी दर्ज है।

1. यह है कि वर्तमान जमाबन्दी हाल चक आराजी चक 10 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1/2 0.025, 2/2-0.025, 3/2 -0.025, 4/2-0.025, 5/2 - 0.025, कुल 0.125 है. गै. मु. रास्ता दर्ज है।

2. यह है कि जमाबंदी सम्वत् 2021 में खाता संख्या 10 मुरब्बा नम्बर 5 में किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 18 बिस्वा नहरी रकबा दर्ज है तथा शेष 2-2 बिस्वा रकबा खाता संख्या में रास्ता दर्ज है ।

3. यह है कि जमाबन्दी संवत 2021 में 2-2 बिस्वा रास्ता दर्ज था। जो कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2026 में उक्त रकबे के मुरब्बा पुराना 5 नया 7 के किला नम्बर 1 ता 5 में प्रत्येक में 18 बिस्वा रकवा में से 2-2 बिस्वा रास्ता तथा 16-16 बिस्वा नहरी दर्ज किया गया ।

4. यह है कि मिशल बन्दोबस्त के बाद तत्कालीन जमाबंदी सम्वत 2044 के खाता संख्या 11 में उक्त मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 1 ता 5 के रास्ते की भूमि का किस्म परिवर्तन कर खाला दर्ज कर दिया गया। जिसके संबंध में कोई नामान्तकरण अथवा आदेश का अंकन जमाबंदी में दर्ज नहीं है।

5. यह है कि आगामी जमाबंदी सम्वत 2048 के नवीन अंकन में उक्त इन्द्राज बदस्तूर रहा।

6. यह है कि आगामी जमाबंदी सम्वत 2052 के नवीन अंकन में उक्त इन्द्राज बदस्तूर रहा।

Scanned with CamScanner

7. यह है कि जमाबंदी सम्वत 2060 के नवीन अंकन में उक्त रकबे की किस्म को खाले से रास्ता में परिवर्तित कर दिया गया। जिसके नामान्तकरण अथवा आदेश का अंकन जमाबंदी में नहीं है। जोकि आदिनांक तक बिना किसी परिर्वतन के जमाबंदी में चला आ रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जमाबंदी सम्वत 2026 से वर्तमान जमाबंदी तक उक्त रकबा को खाला अथवा रास्ता दर्ज किया गया जिसके संबध में कोई आदेश अथवा नामान्तकरण का जमाबंदी में अंकन नहीं है तथा मौका पर उक्त रकबा पर कोई खाला अथवा रास्ता नही है। मौके पर उक्त रकबा पर फसल काश्त है। मौके पर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 5 में 2–2 बिस्वा रास्ता वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 43/6 में 0.126 है. गै. मु. रास्ता दर्ज है जोकि सूचारू रूप से चालू है। जिसमें किसी प्रकार का विवाद आदि नहीं है। इसलिए जमाबन्दी संवत 2021 व मौका स्थिति अनुसार वर्तमान जमावन्दी के खाता संख्या 20 में मु.नं. 1 ता 5 में दर्ज दो–दो बिस्वा रास्ते की दुरूस्ती किया जाना उचित है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर चक 10 एल.एन.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 में दर्ज 0.0250 है० गै. मु. रास्ता के अंकन को दुरूस्त किया जाकर किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 प्रत्येक में 0.2280 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजी जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 10 एलएनपी पटवार हलका 6 एलएनपी, भू.अ.नि. चक महाराजका खाता संख्या 20/19, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 10 एलएनपी पटवार हलका 6 एलएनपी, भू.अ. नि. चक महाराजका खाता संख्या 1/1, जमाबंदी सम्वत् 2021–2025 चक 10 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/11, जमाबंदी चक 10 एलएनपी पटवार हलका 6 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10/14, जमाबंदी सम्वत् 2026–2035 चक 10 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 7 के अवलोकन एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार वाद वादीगण न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर चक 10 एल.एन.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 में दर्ज 0.0250 है० गै. मु.रास्ता के अंकन को दुरूस्त किया जाकर किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 प्रत्येक में 0.2280 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाता नं. 1/1 में दर्ज 02–02 बिस्वा रास्ता बदस्तुर रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26.05.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner